दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387/फ्लाई लीफ/6/2021

फ्लाई लीफ सं.06/2021

सर्वसंबंधित ....ध्यान दें

शीतकालीन पूर्वोपाय

केंद्रीय नियंत्रण/रेल निलयम

a. मौसम/चक्रवात चेतावनी टेलीग्राम प्राप्त होने पर मुख्य नियंत्रक/केंद्रीय नियंत्रण इसकी एक प्रति इंजीनियरी नियंत्रण, टीपीसी, टीएलसी, सुरक्षा नियंत्रण, वाणिज्य नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण, परीक्षण कक्ष और संबंधित मंडल नियंत्रक को भेजने की व्यवस्था करेगा. **इसके अलावा, इन नियंत्रणों की जिम्मेदारी है कि वे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना दें ताकि वे किसी भी सम्भावित घटना से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहें.**

b. **नाम, पदनाम और संदेश भेजने के समय का रिकॉर्ड रखा जाए.**

मंडल नियंत्रक

a. मौसम/चक्रवात चेतावनी टेलीग्राम प्राप्त होने पर मुख्य नियंत्रक/केंद्रीय नियंत्रण इसकी एक प्रति इंजीनियरी नियंत्रण, टीपीसी, टीएलसी, सुरक्षा नियंत्रण, वाणिज्य नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण, परीक्षण कक्ष और संबंधित मंडल नियंत्रक को भेजने की व्यवस्था करेगा. **इसके अलावा, इन नियंत्रणों की जिम्मेदारी है कि वे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना दें ताकि वे किसी भी सम्भावित घटना से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहें.**

b. **सेक्शन नियंत्रक सभी स्टेशनों के स्टेशन प्रबंधकों को संदेश शब्दशः दोहराए और नामित रजिस्टर में स्टेशन प्रबंधक कानाम और अभिस्वीकृति का समय दर्ज करें.**

वसेइंजी/रेलपथ द्वारा कार्रवाई

1. पैट्रोल बुक को क्रमांकित किया जाए और स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाए.
2. गश्ती पुस्तक में वे संवेदनशील स्थान और पुल का उल्लेख होना चाहिए, जिन पर विशेष निगरानी अपेक्षित है. स्टेशन पर वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित गश्ती चार्ट की प्रति भी प्रदर्शित की जानी चाहिए.
3. सुनिश्चित करें कि जहां तक संभव हो उन गश्तियों को गश्त के लिए चुना जाए जिन्हें क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हो.
4. **सुनिश्चित करें कि यदि किसी कारणवश गश्त के लिए नामित गश्ती उपस्थित नहीं हो पाता है, तो अन्य किसी ट्रैकमैन की व्यवस्था की जाए.**
5. **सुनिश्चित करें कि उपस्कर, सुरक्षात्मक कपड़े और उपभोज्य सामग्रियों की अधिप्राप्ति की गई है.**

6. **साधारण व सहायक नियम के परिशिष्ट IV के पैरा 3 में दी गई सूची के अनुसार पखवाड़े में एक बार गश्ती के उपस्करों की जाँच करें; और ट्राली द्वारा रेलपथ का निरीक्षण करें.**
7. **आईआरपीडब्ल्यूएम की शुद्धी पर्ची संख्या 132 के अनुसार सहायक मंडल इंजीनियर/ वरि. मंडल इंजीनियर आवर्ती निरीक्षण करें.**

गैंगमेट द्वारा कार्रवाई

1. अनुकूल मौसम के दौरान, गैंगमेट स्वयं दो विश्वसनीय गैंगमेन को उपस्करों के साथ ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर की गश्त और मध्यवर्ती गैंगमेट को सचेत करने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा .
2. मानसून अवधि के दौरान, स्टेशन/यार्ड गैंग का गैंगमेट, मध्यवर्ती गैंगमेट, गश्ती और वॉचमैन को सतर्क करने के लिए दो गैंगमेन को विपरीत दिशाओं में भेजेगा.

कर्षण पावर नियंत्रक द्वारा कार्रवाई : कर्षण पावर नियंत्रक को स्थिति से निपटने के लिए त्वरित और शीघ्र कार्रवाई के लिए हमेशा तत्परत होना चाहिए. वे परिस्थितियों के अनुसार समीपवर्ती मंडलों से मदद मांगने के अलावा फील्ड पदाधिकारियों, मुख्यालय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखेगे.

i) सहायक विद्युत इंजीनियर अपने संबंधित मुख्यालय में रहेंगे . चक्रवात के कारण ओएचई / पीएसआई संस्थापनों को हुए नुकसान के आधार पर उनकी आगे की गतिविधि के लिए वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/कवि द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा.

ii) कर्षण वितरण शाखा के सभी वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को भी टीपीसी को अपनी गतिविधियों की सूचना देते रहना चाहिए. ये अनुदेश अन्य प्रमुख कर्मियों पर भी लागू होते हैं .

ओएचई/पीएसआई डिपो प्रभारी द्वारा कार्रवाई

मौसम / चक्रवात की चेतावनी प्राप्त होने पर ओएचई / पीएसआई डिपो प्रभारी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरतने और मुख्यालय में उपलब्ध होने के लिए तत्पर रहेंगे. वे अल्प सूचना में आगे बढने के लिए तैयार रहेंगे.

ब्रेक डाउन वाहन अर्थात् टॉवर कार, वायरिंग गाडी, लॉरी और सभी ब्रेक डाउन औज़ार, शेकल और सीढ़ी, जनरेटर सेट, सुवाह्य फ्लड लाइट आदि, किसी भी घटना के लिए तैयार रखे जाए. कंडक्टर, इंसुलेटर, फिटिंग जैसी ओएचई सामग्री को तैयार रखा जाएं.

स्टेशन मास्टर

- **सेक्शन नियंत्रक से मौसम चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर, सुनिश्चित करें कि सहायक मंडल इंजीनियर, वसेइंजी/कइंजी-रेलपथ, वसेइंजी(कार्य), समंविइंजी/कवि, वसेइंडी/ओएचई/पीएसआई को इसकी सूचना टेलीफ़ोन या तारीख व समय सहित स्पष्ट अभिस्वीकृति के तहत दी गई है. इसे निर्धारित मौसम चेतावनी रजिस्टर में दर्ज किया जाए/चिपकाया जाए.**

- जब मौसम चेतावनी संदेश/चक्रवात का पूर्वानुमान, तूफान और तेज हवाए चलने की सूचना प्राप्त हुई हो और / या संदेह है कि गंभीर तूफान यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है, गार्ड और लोको पायलट से परामर्श के बाद स्टेशन मास्टर गाड़ी को विनियमित करें और सभी गाड़ियों को तब तक लाइन क्लियर न दे जब तक कि तूफान शांत नहीं हो जाता और गाडियों की आवाजाही के लिए सुरक्षित प्रतीत नहीं होता
- रात्रि गश्ती का नाम, पदनाम और प्रस्थान / आगमन समय के बारे में गाडी सिगनल रजिस्टर और स्टेशन डायरी में लाल स्याही से प्रविष्टियाँ करें. इसके विवरण के बारे में सेक्शन नियंत्रण को सूचित करें.
- अगर, किसी भी कारणवश रात्रि गश्ती अपने बीट चार्ट के अनुसार ब्लॉक सेक्शन से वापस नहीं लौटता है, तो 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें और सभी गाड़ियों को 40 किमीप्रघं का अधिकतम गति प्रतिबंध बनाए रखने के लिए आपाती सतर्कता आदेशजारी करें.
- नियमित अंतरालोंपर, साधारण व सहायक नियम के परिशिष्टV के पैरा 3 के अंतर्गत दी गई सूची के अनुसार रात्रि गश्ती केअनिवार्य उपस्करों की जांच करें.
- बीट पुस्तक पर अग्रिम रूप से हस्ताक्षर न करें और रात पूरी होने के बाद सभी प्रविष्टियां ना करें.
- ऐसे स्टेशनों पर जहां संस्थापित एनीमोमीटरखतरे के स्तर से अधिक हवा के वेग का संकेत दे रहा है, वहां ;
  - ✓ वे गाडियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सेक्शन नियंत्रक और दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर कोतुरंत सूचित करें.
  - ✓ वे गाडी संचलन को अपने स्टेशन से आरंभ होने या गुजरने की अनुमति ना दे और गाडियों को लाइन क्लियर प्रदान ना करे .
  - ✓ वे सेक्शन नियंत्रक और समीपवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर के परामर्श से सामान्य कार्यचालन तब तक आरंभ नकरें जब तक कि हवा का वेग खतरे के स्तर से नीचे ना आ जाए.

लोको पायलट

a. यदि गाड़ी चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फंस जाती है और लोको-पायलट द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है कि इससे यात्रियों और गाड़ी की सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है, तो वे विधिवत गाडी को पुलों , तीव्र घुमावों आदि पर न रोकने की सावधानी बरतते हुए सुविधाजनक स्थान पर रोकेगा.

b. गाडी कर्मीदल (लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड) यात्रियों के सहयोग से सभी सवारी डिब्बों केदरवाजे और खिड़कियां खुली रखें और उनमें से हवा आने दें .

c. गाडी को तूफान और तेज हवाओं के थमने के बाद ही दोबारा शुरू करें .

d. **विद्युतीकृत क्षेत्र में चक्रवात / तूफान / तेज हवाओं के दौरान, अपने लोको के पेंटोग्राफ के साथ-साथ गुजरने वाली गाडियों पर भी नजर रखेगा और किसी भी असामान्यता की रिपोर्ट टीपीसी / टीएलसी को करेगा और पेंटोग्राफ को होने वाली क्षति को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा.**

e. **जब स्टेशन मास्टर द्वारा 40 किमीप्रघं का आपाती सतर्कता आदेश जारी किया जाता है और रात्रि गश्ती ब्लाक सेक्शन से वापस नहीं लौटता है तो , अत्यधिक सावधानी बरतें और असुरक्षित स्थिति देखे जाने/रिपोर्ट किए जाने पर गाड़ी कोरोके .**

f. **किसी भी अपरिहार्य कारण के लिए समपार, पुल, घुमाव, संवेदनशील स्थलों और ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को बैक करते समय पहुंच मार्गों पर सीटीबजाएं.**

g. **सुनिश्चित करें कि सैंडर्स रेत से भरे हुए हैं और स्टालिंग से बचने के लिए लोको का प्रभार लेते समय वे कार्यचालन स्थितिमें हैं .**

h. <u>जल स्तर बढ़ने पर विशेष सावधानी:—</u>

गाड़ियों को पूरी तरह रोक देने और 8 किमीप्रघं तक की गति से आगे बढ़ने के प्रत्येक मामले में निम्नलिखित सावधानियों बरती जाएं.

a. यदि पानी गिट्टी के स्तर से अधिक हो जाता है, लेकिन रेल स्तर से नीचे हो तो रेलपथ पर प्रत्येक गाडी से पहले स्लीपरों के दोनों सिरों पर दो व्यक्तियों को एक साथ चलाया जाए और केवल यदि रेलपथ पर कोई परेशान नहीं होती तो गाडियों को रेलपथ पर चलाने की अनुमति दी जाए.

b. जब पानी पटरी के स्तर से अधिक हो तो पीडब्लूआई को रेलपथ पर चलते हुए और यह जांच करते हुए यह प्रमाणित करना चाहिए कि रेलपथ सुरक्षित है.

जब पानी गिट्टी स्तर से ऊपर उठता है और फिर जब यह कम हो जाता है तो पीडब्लूआई द्वारा सहायक इंजीनियर और मंडल इंजीनियर को संदेश भेजा जाना चाहिए. इसके बाद विशेष रिपोर्टों भेजी जानी चाहिए. ऐसी सभी घटनाओं के रिकॉर्ड को पीडब्लूआई सेक्शन रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए .

<u>बाढ़ की चेतावनी:</u>

a. बाढ चेतावनी संकेतक: कुछ पुलों पर बाढ़ चेतावनी उपकरण परीक्षण के आधार पर स्थापित किए गए हैं. दो प्रकार के उपकरण निम्नानुसार स्थापित किए गए हैं:

a) जीएसएम आधारित उपकरण: b) वीएचएफ आधारित उपकरण:

i. जब बाढ़ का पानी खतरे के निशान तक पहुंच जाता है, तो उपकरण स्टेशन मास्टर के कमरे में एक ऑडियो-विज़ुअल इंडिकेशन (बीप साउंड देकर) भेजता है और पुल के पहुंच मार्ग पर स्थापित सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में सक्रिय करता है.

ii. आने वाली गाडी के लोको पायलट / सहायक लोको पायलट को चाहिए कि वह सिगनल के 'ऑन' स्थिति में होने पर गाड़ी को रोके. वह स्थल पर संबंधित सेइंजी / कइंजी /रेलपथ से क्लियरेंस मिलने के बाद ही अपनी गाडी को पुनः आरंभ करेगा.

स्टेशन मास्टर और संबंधित कर्मचारी निम्नलिखित कार्रवाई करें:

i. जब स्टेशन मास्टर को बाढ़ चेतावनी उपकरण से संदेश प्राप्त होता है, तो उसे चाहिए कि वह आने वाली गाड़ी को तुरंत रोक दे और समीपवर्ती स्टेशन मास्टरों और संबंधित कइंजी/सेइंजी/वसेइंजी रेलपथ को सावधानी बरतने के लिए कहें जब तक कि गाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कइंजी/सेइंजी/वसेइंजी/रेलपथ से क्लियरेंस नहीं मिल जाती.

ii. जैसे ही सेइंजी/कइंजी/रेलपथ को संदेश प्राप्त होता है, उसे चाहिए कि वह स्थल पर जाए और स्थिति का जायज़ा ले और यातायात को नियमित करें. जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता, तब तक उसे चाहिए कि वह अस्थायी चौकीदार तैनात करें. उसे चाहिए कि वह बाढ़ की स्थिति के बारे में समीपवर्ती स्टेशन मास्टर को सूचित करें और यह भी बताए कि गाडियों की आवाजाही संभव है या नहीं.

रेल प्रभावित टंकी के कारण रेलपथ और पुलों को खतरा

जैसे ही स्टेशन मास्टर और संबंधित पदाधिकारियों को रेलवे को प्रभावित करने वाले टैंक के खतरे से संबंधित संदेश राज्य सरकार के पदाधिकारियों अर्थात् ग्राम सेवक / ग्राम सहायक, पंचायत सचिवों / सहायक पंचायत सचिवों या किसी अन्य आम जनता से प्राप्त होता है तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:

a. रेल प्रभावित टंकियों के कारण रेलपथ या पुल के खतरे के बारे में सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह आने वाली गाड़ी को तुरंत रोके और संबंधित सेइंजी / कइंजी /रेलपथ और निकटवर्ती स्टेशन मास्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करें

b. सेक्शन के कइंजी/ सेइंजी/रेलपथ प्रभारी को चाहिए कि वह तुरंत स्थल पर जाए और स्थिति का आकलन करें और बाढ़ कम होने तक एक स्थायी चौकीदार को तैनात करें . उसे चाहिए कि वह बाढ़ की स्थिति के बारे में समीपवर्ती स्टेशन मास्टर को सूचित करें और यह भी बताए कि गाडियों की आवाजाही संभव है या नहीं .

वर्ष 2020-21 में गश्त की अवधि सहित नियमित गश्त के लिए चिंहित ब्लाक सेक्शन निम्नलिखित हैं

मंडल	सेक्शन	ब्लॉक सेक्शन	अवधि	
			से	तक
सिकंदराबाद	बल्हारशाह - काजीपेट	बल्हारशाह - काजीपेट	15.6.2021	15.10.2021
	काजीपेट - कोंडापल्ली	काजीपेट - कोंडापल्ली वारंगल - काजीपेट बायपास		
	डोर्नकल - भद्राचलम रोड- मनुगुरू	डोर्नकल - भद्राचलम रोड		
	सिकंदराबाद - काजीपेट- सनतनगर	काजीपेट - सिकंदराबाद हुसैनसागर जंक्शन - हैदराबाद सिकंदराबाद - सनतनगर		
	सनतनगर – वाडी	सनतनगर – वाडी		
	विकाराबाद - परली वैजनाथ	विकाराबाद - सदाशिवपेट रोड		
		घाटनंदूर - परली वैजनाथ		
गुंतकल	गुत्ती- रेणिगुंटा	मंटपमपल्ले - रेणिगुंटा	15.6.2021	15.01.2022
	गुडूर -रेणिगुंटा	रेणिगुंटा - गुडूर		
	गुत्ती – धर्मवरम	पमिडि - कल्लुरु		
		चिगीचेर्ला - धर्मवरम		
गुंटूर	नलपाडु – नंद्याल	गाजुलपल्ली – चेलमा चेलमा - दिगुवमेट्टा	15.6.2021	15.10.2021
	नडिकुडि – पगडिपल्ली	रायनगुडेम - तिप्पर्ति		
	गुंटूर – न नडिकुडि	सत्तेनपल्ली - रेड्डीगुडेम		
		बेलमकोंडा - पिडुगुराला		
	नडिकुड़ी - माचर्ला	नडिकुड़ी - गुर्जाला		

विजयवाड़ा	गुडूर – विजयवाड़ा	गुडूर - अम्मनब्रोलु 15.6.2021- 15.01.2022 (दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून के अंतर्गत आने वाले सेक्शन		
		अम्मनब्रोलु – चिनगंजम	01.7.2021	31.10.2021
	काज़ीपेट – विजयवाड़ा	कोंडापल्ली - विजयवाड़ा	19.6.2021	18.10.2021
	विजयवाड़ा – विशाखपट्टणम	सामलकोट – बय्यावरम	01.7.2021	31.10.2021
		ताड़ी - दुव्वाडा		
		निडदवोलु - नवाबपालेम		
शाखा लाइन / विजयवाडा	विजयवाड़ा – मचिलीपट्टणम	तारिगोपुला - गुडीवाड़ा	01.7.2021	31.10.2021
	गुडिवाडा जं. – भीमवरम जंक्शन	उंडी - भीमवरम जंक्शन		
	निडदवोलु – नरसापुर	निडदवोलु - कलधारी		
हैदराबाद	सिकंदराबाद – डोन	फलकनुमा - उमदानगर तिम्मापुर - गडवाल आलमपुर रोड - दुपाडु उलिंदकोंडा- वेल्दुरती	15.6.2021	15.10.2021
	सिकंदराबाद – मुदखेड़	वडियारम - मिर्ज़ापल्ली बिकनूर - सिरनापल्ली जनकमपेट - बासर जानकमपेट - बोधन	15.6.2021	15.10.2021
नांदेड	मनमाड – मुदखेड़	अंकई - मुदखेड़	15.6.2021	15.10.2021
	मुदखेड़ - पिंपलकुट्टी	मुदखेड - पिंपलकुट्टी		
	परभणी - परली वैजनाथ	परभणी - परली वैजनाथ		
	अकोला - पूर्णा	अकोला - पूर्णा		

मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन दक्षिण मध्य रेलवे